निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1931 (श0)

(सं0 पटना 110) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2009

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर
(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश
31 मार्च 2009

सं० 198/स्था०—श्री भुवनेश्वर लाल दास, लिपिक, दिनांक-28.02.1997 से 30.10.2000 की अवधि में अनुमंडल कार्यालय, पूर्वी, मुजफ्फरपुर में अनुमंडल नाजिर के दायित्वों का निर्वाहण करते थे। उक्त अवधि में श्री दास द्वारा लेखा संधारण में बरती गयी अनियमितताओं एवं सरकारी राशि के गवन से संबंधित आरोपों की जाँच अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर से करायी गई। जाँच के क्रम में श्री भुवनेश्वर लाल दास, तत्कालीन अनुमंडल नाजिर के द्वारा कुल 13,57,281.08 (तेरह लाख सतावन हजार दो सौ एकासी रूपये आठ पैसा) रूपयें का गवन किया जाना पाया गया, साथ ही उनके द्वारा लेखा संधारण में भी अनियमितता किया जाना पाया गया। सरकारी राशि का गवन करने एवं लेखा संधारण में अनियमितता बरते जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-213/स्था0 दिनांक- 02.05.2001 के द्वारा श्री दास को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन का आदेश दिया गया।

श्री भुवनेश्वर लाल दास, तत्कालीन अनुमंडल नाजिर के द्वारा सरकारी राशि के गवन किये जाने एवं रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरते जाने की जाँच महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना एवं वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षण दल के द्वारा भी की गई एवं समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-आई0सी0 11-197/2002-03 में श्री दास द्वारा 13,57,281.08 (तेरह लाख सतावन हजार दो सौ एकासी रूपये आठ पैसा) रूपये की गवन की पुष्टि की गयी है। सरकारी राशि के गवन एवं लेखा संधारण में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित आरोपो को प्रपत्र-''क'' में गठित कर श्री कृपानाथ झा, तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मुजफ्फरपुर को इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक-802/स्था0 दिनांक-02.07.2003 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए अपना जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में समर्पित करने का आदेश दिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित कर्मचारी श्री दास को

आरोप प्रपत्र-''क'' अंचल अधिकारी, गायघाट के माध्यम से तामिला कराया गया जिससे संबंधित तामिला प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, गायघाट के पत्रांक-494, दिनांक-12.10.2003 से प्राप्त है।

विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में विभिन्न तिथियाँ निर्धारित करते हुए श्री दास को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपो के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अनेकों अवसर प्रदान किया गया। श्री कृपानाथ झा, तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के स्थानान्तरण के कारण इस कार्यालय के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-283/स्था0 दिनांक-09.03.2004 के द्वारा श्री बिनोद कुमार कर्ण, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री बिनोद कुमार कर्ण, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण -सह- विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में अनेको तिथियाँ निर्धारित करते हुए श्री दास को उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित करने के साथ ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, लेकिन श्री दास के द्वारा न तो अपना कारण पृच्छा समर्पित किया गया और न ही निर्धारित तिथियों को विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

आरोपित कर्मचारी श्री दास के लगातार अनुपस्थिति के कारण दैनिक समाचार पत्रो के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कर श्री दास को विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपो के संबंध में अपना कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिये जाने के साथ ही उन्हें विभागीय कार्यवाही संचालन में निर्धारित तिथियों को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। दिनांक-18.04.2006 को दैनिक समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशित होने के बाद भी आरोपित कर्मचारी श्री दास के द्वारा आरोपो के संबंध में न तो कोई कारण पृच्छा समर्पित किया गया और न ही विभागीय कार्यवाही संचालन से संबंधित निर्धारित तिथियों का उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपित कर्मचारी श्री दास के लगातार अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री दास के गृह पता पर ज्ञापांक-644/अभिकरण, दिनांक-12.04.2006 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन से संबंधित दिनांक-24.04.2006 को निर्धारित अंतिम तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन श्री दास उक्त सभी आदेशो की अवहेलना करते हुए आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपो के संबंध में न तो कोई कारण पृच्छा समर्पित किये और न ही निर्धारित तिथियों को विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये। विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपो, आरोप प्रपत्र-''क'' के साथ संलग्न साक्ष्यों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा समर्पित साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुए आरोपित कर्मचारी श्री भुवनेश्वर लाल दास के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित सभी आरोपो को अपने जाँच प्रतिवेदन में सही पाया जाना अंकित किया गया है।

विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित कर्मचारी श्री भुवनेश्वर लाल दास, निलंबित लिपिक से इस कार्यालय के ज्ञापांक-205/स्था0 दिनांक-20.02.2007 के द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से उनके गृह पता पर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। आरोपित कर्मचारी श्री दास के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में दिनांक-06.03.2007 को कुछ कागजातों की माँग की गई जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक-535/स्था0 दिनांक-04.06.2007 के द्वारा उन्हें निबंधित डाक के माध्यम से उनके गृह पता पर उपलब्ध करा दिया गया एवं एक सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट अंकित किया गया कि कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु यदि उन्हें किसी अन्य कागजात की आवश्यकता हो तो वें सदेह उपस्थित होकर कार्यालय से प्राप्त कर लें। उक्त निदेशों के बाद भी श्री दास कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा डाक के माध्यम से पुनः दिनांक-13.07.2007 को कुछ अन्य कागजातों यथा-महालेखाकार, बिहार, पटना का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षण दल द्वारा दिया गया आपत्ति से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर

का प्रतिउत्तर की मांग की गई, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक-699/स्था0 दिनांक-02.08.2007 के द्वारा श्री दास के गृह पता पर निबंधित डाक के माध्यम से भेजते हुए उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए आरोपित कर्मचारी श्री दास द्वारा अपना कारण पृच्छा समर्पित नहीं करने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1018/स्था0 दिनांक-02.11.2007 के द्वारा श्री दास को दिनांक-22.11.2007 तक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया। आरोपित कर्मचारी श्री दास के द्वारा दिनांक-18.11.2007 को अपना कारण पृच्छा समर्पित किया गया जिसकी जाँच आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपो के आलोक में किये जाने पर श्री दास का कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाया गया।

श्री दास के विरूद्ध सरकारी राशि के गवन से संबंधित आरोप विभागीय कार्यवाही संचालन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना एवं वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये अंकेक्षण के क्रम में सही पाया गया। उनके द्वारा सरकारी राशि के गवन से संबंधित विवरण निम्नवत है :-

1.	सामान्य रोकड़ पंजी में अंकित राशि -	1,07,85,836.91
	रोकड़ पंजी की भौतिक सत्यापन के पश्चात पायी गयी राशि -	1,02,57,984.28
	गवन से संबधित राशि -	5,27,852.63
2.	विपत्रों द्वारा निकासी की गई राशि का गवन-	8,00,084.45
3.	नाजिर रसीद से प्राप्त राशि जिसकी प्रविष्टि बिना रोकड़ पंजी में किये हुए गवन किया गया -	29,344.00
	गवन की गई कुल राशि -	**13,57,281.08**

(कुल तेरह लाख सतावन हजार दो सौ एकासी रूपये आठ पैसा)

आरोप प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपो, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, महालेखकार, बिहार, पटना द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन, वित्त विभाग के विशेष अंकेक्षण दल द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन, आरोपी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, संबंधित संचिका एवं विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संलग्न कागजातों के सम्यक् विवेचनोपरान्त आरोपित कर्मचारी श्री दास के विरूद्ध प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोप संख्या-1 से 8 तक प्रमाणित पाये गये है, अतः वर्णित प्रमाणित आरोपो के आलोक में बिहार बोर्ड प्रर्कीण नियमावली के नियम 165 एवं 166 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2007 के नियम 14 में अंकित प्रावधानों के आलोक में प्रमाणित आरोपो के आधार पर आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री भुवनेश्वर लाल दास, तत्कालीन अनुमंडल नाजिर, पूर्वी अनुमंडल, मुजफ्फरपुर वर्तमान पदस्थापन अंचल कार्यालय, गायघाट को सरकारी सेवा से **बर्खास्त** (Dismiss) किया जाता है।

श्री भुवनेश्वर लाल दास से संबधित पूर्ण विवरणी निम्नवत है :-

1.	सरकारी सेवक का नाम	-	श्री भूवनेश्वर लाल दास
2.	पिता का नाम	-	श्री लक्ष्मी नारायण दास
3.	जन्मतिथि	-	18.02.1951
4.	सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	-	01.06.1990
5.	वेतनमान	-	4000-100-6000

6. स्थायी पता	–	ग्राम+पोस्ट–बलौर, थाना–मणिगाछी, जिला–दरभंगा।
7. वर्तमान पता	–	ग्राम+पोस्ट–बलौर, थाना–मणिगाछी, जिला–दरभंगा।

जिला पदाधिकारी,
(ह०)–अस्पष्ट,
मुजफ्फरपुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 110-571+10-डी0टी0पी0।